पुलिस आदेश संशोधन स्लिप 226 /91।

पुलिस आदेश सं0-99 की कंडिका 6 को समीक्षोपरान्त पुलिस आदेश संशोधन स्लिप सं0 1/86 द्वारा रद्द करते हुए "किसी आरक्षी को वृहद सजा पाने की तिथि तीन वर्ष की अवधि की गणना सजा देने की तिथि से ली जायगी" को प्रतिस्थापित किया गया है।

पुनः महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित पूरक म0नि0 पर्षद द्वारा पुलिस आदेश संशोधन स्लिप सं0 1/86 की गहन समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में काफी समय लग जाता है। किसी-किसी विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में तो वर्षों लग जाता है और अगर उसमें वृहद सजा मिलती है तो वृहद सजा की तिथि से अगले तीन वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रहती है जिससे प्रोन्नति पाने वाले के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्षद ने पुलिस आदेश संशोधन स्लिप सं0 1/86 को अव्यवहारिक मानते हुए पुलिस आदेश सं0 99 की कंडिका 6 को यथास्थिति रखने की अनुशंसा की है।

पूरक म0नि0 पर्षद की अनुशंसा के आलोक में पुलिस आदेश संशोधन स्लिप सं0 1/86 को 1 फरवरी, 1991 के प्रभाव से रद्द किया जाता है तथा पुलिस आदेश सं0-99 की कंडिका-6 को यथास्थित रखने का आदेश दिया जाता है।

(अरुण कुमार चौधरी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2160 /पी।
4-9-3-91

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।
पटना, दिनांक 30 मार्च, 91.

प्रतिलिपि:-

सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, रेल्वे सहित।
सभी उप-महानिरीक्षक, रेल्वे, सैन्य पुलिस सहित।
सभी आरक्षी अधीक्षक, समादेष्टा, रेल्वे सहित
महानिदेशक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/तकनिकी सेवाएं, बिहार, पटना
प्रशाखा पदाधिकारी, पी-2/ एल-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(अरुण कुमार चौधरी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

राय/27391